



**POLICE COMMISSIONERATE**



## **GAUTAM BUDH NAGAR**

**सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 15.09.2025**

**1.थाना सेक्टर-39 नोएडा पुलिस द्वारा वाहन चोरी करने वाला एक चोर गिरफ्तार, कब्जे/निशादेही से चोरी की 04 मोटरसाइकिल व 01 अवैध चाकू बरामद**

**कार्यवाही का विवरण--** दिनांक 15.09.2025 को थाना सेक्टर-39 नोएडा पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से वाहन चोरी करने वाला एक चोर अजीत सिंह पुत्र शिवकरन उर्फ रामकरन को बारात घर ग्राम छलैरा के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 04 मोटरसाइकिल व 01 अवैध चाकू बरामद हुआ है। बरामद मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में थाना सेक्टर-39 नोएडा, थाना सेक्टर फेस-1 व थाना सेक्टर-24 नोएडा पर अभियोग पंजीकृत है।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--**

1. अजीत सिंह पुत्र शिवकरन उर्फ रामकरन निवासी ग्राम ब्रडीगांवा, थाना चाँदपुर, जिला फतेहपुर वर्तमान पता हरौला, सेक्टर-5, थाना फेस-1, गौतमबुद्धनगर उम्र 30 वर्ष।

### **पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण--**

1. मु0अ0सं0- 767/21 धारा 392/411 भादवि थाना सेक्टर-20, नोएडा।
2. मु0अ0सं0 260/22 धारा 379/411 भादवि थाना सेक्टर-20, नोएडा।
3. मु0अ0सं0 265/22 धारा 379/411 भादवि थाना सेक्टर-20, नोएडा।
4. मु0अ0सं0 266/22 धारा 411 भादवि थाना सेक्टर-20, नोएडा।
5. मु0अ0सं0 320/24 धारा 303(2) 317(2) बीएनएस थाना सेक्टर-20, नोएडा।
6. मु0अ0सं0 323/24 धारा 109(1)/ 317(2)/317(5) बीएनएस, व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-20, नोएडा।
7. मु0अ0सं0 017/22 धारा 379/411 भादवि थाना सेक्टर-126, नोएडा।
8. मु0अ0सं0 108/23 धारा 379,411 भादवि थाना फेस-1 नोएडा।
9. मु0अ0सं0 386/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना फेस-1 नोएडा।
10. मु0अ0सं0 370/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना सेक्टर-24 गौतमबुद्धनगर।
11. मु0अ0सं0 465/25 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।

### बरामदगी का विवरण--

1. मोटरसाइकिल स्पलेण्डर प्लस रजि०नं० डीएल 3 एस.ई.टी 2283 सम्बन्धित मु०अ०सं० 386/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना फेस-1 नोएडा।
2. मोटरसाइकिल स्पलेण्डर प्लस रजि०नं० यूपी 16 डी.जेड 8646 सम्बन्धित मु०अ०सं० 370/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना सेक्टर-24 नोएडा।
3. मोटरसाइकिल स्पलेण्डर प्रो रजि० नं० यूपी 14 सीपी 0956
4. मोटरसाइकिल पैशन रंग काला जिस पर नम्बर प्लेट व इंजन व चेचिस नम्बर मिटा हुआ है।
5. एक अवैध चाकू